

उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-4
संख्या-130 / 14-4-2019-144जी / 2018
लखनऊ, दिनांक-22 फरवरी, 2019
अधिसूचना

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतदद्वारा इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से उत्तर प्रदेश राज्य की लोकलेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अधीन मुख्य शीर्ष 8121-“सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ” के अन्तर्गत लघु शीर्ष “129-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.)” के अधीन “राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि-उत्तर प्रदेश” के नाम से ज्ञात एक विशेष निधि के रूप में स्थापित करते हैं।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव

संख्या-130(1) / 14-4-2019 तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
- 3- निजी सचिव, मा० वन मंत्री, उ0प्र0।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 6- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0 लखनऊ।
- 9- वन महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण, (कैम्पा) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, नई दिल्ली-110003।
- 10- मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैम्पा, उ0प्र0।
- 11- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐश्वाग, लखनऊ को सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुए अधिसूचना की 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 12-गार्ड फाईल/वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1,2,3,5, उ0प्र0 शासन।


(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या-130(2)14 / 4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ प्रेषित।


(संजय सिंह)
सचिव।